

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3002-SAKSHI COLLEGE OF PHARMACY, 309,BAIKUNTHPUR,KALYANPUR BITHOOR ROAD,KANPUR-208017			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SAKSHI COLLEGE OF PHARMACY, 309, BAIKUNTHPUR, KALYANPUR
BITHOOR ROAD, KANPUR-208017



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथमिक/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

संख्यांक निर्गतक 13-8-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेटो कॉलेजियल अंतर्गत इन्फिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक राश 2020-21 हेतु डिप्लोमा तकनीक तकनीकी विद्यालय संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की शर्तों पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षा परिषद लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा राश 2020-21 हेतु उपरोक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार कालो हुए राश 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

यहां से अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मेटो पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्ण में सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श का निष्पत्ति निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेटो पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ जखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं राश 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ राश 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रयत्न अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में राश 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय से अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान राश 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा राश 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ/परिषद द्वारा राश 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ फार्मेटो, 308 विद्युतपुर, कल्याणपुर विद्यु पौर, कल्याणपुर	डिप्लोमा इन फार्मेटो	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एकादेशीय/डिप्लोमा/पिठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रदान प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद डिप्लोमा/पिठसीआईओ 2018 संशोधन दिनांक/2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा प्रत्येक विद्यार्थी के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रवेश क्षमता हेतु 32,100.00/- प्रतिवर्ष, से अधिक फार्मेटो पाठ्यक्रम हेतु 80-10,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेटो पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष हेतु 80-22,000.

(Handwritten Signature)

**कार्यालय
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 15-6-2019

->कार्यालय द्वाप->

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु विज्ञाना शासकीय संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्थानों को अध्यक्ष कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संशोधित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश शर्तों वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मध-17 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-विमर्श एवं विमर्श निर्णय लिया गया -

“ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को वास्तुतः प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।”

उक्त निम्नानुसार संशोधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधान पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश शर्तों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश शर्तें	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश शर्तें
1	3002	राजीव गांधी जीव फार्मसी 3002 कल्याणपुर, मिराट कल्याण - 200011	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ से प्राविधिक शिक्षा परिषद डिप्लोमा संस्थानों को 1982 तथा अन्य निर्मित विमर्श एवं आवेदों का अनुमोदन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/सत्र में प्रेषित किया जायेगा। संस्थानों के अतिरिक्त उक्त/उक्तकों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर शर्तों का निर्णय किये जाने

काले शासनपदेश प्रभावी होंगे, और अनुसार जांचें/री किया जाना आवश्यक होगा। जोस-विशेष समिति द्वारा यदि सत्र 2018-20 हेतु पीठ का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो पीठ की नवीनताएं वही लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उन समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समग्र-संस्था पर निर्णय शासनपदेशों को अनुसार विहित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त/सीट/रिक्त) से आवेगी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताये गये विधि/विधियों/अधिनियमों/शासनपदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उच्चतर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उपरोक्त द्वारा बताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन कार्यवाही पर्यवेक्षण की संस्थाएं यदि पीसीआई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त प्रस्ताव/पत्रिका संस्था का होगा और विहित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई याद दायर किया जाता है तथा दायर बाद के संस्था में या, स्वाभाविक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश विहित किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधी संस्था को करनी होगी।
- ✓ दिल्लीमा इन कार्यवाही पर्यवेक्षण संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, उच्चतर द्वारा प्रेषित वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु अंतर्निहित प्रलेख होने के पूर्व पीसीआईआई से अनुमोदन प्राप्त एवं परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा वर्ष प्रवेश की (अंतर्निहित) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्दिष्ट नवीनताएं आवश्यक विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिबन्धि, स्टाफ, साज-सज्जा, सम्पत्तियां प्रकाशित करने संस्था सुलभ, जासबात शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिबंध हेतु प्रावृत्त पर्याप्त उपलब्ध कराने के साथ विहित रीतियों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघीयित पर्यवेक्षण को कनादे जाने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराने गये अधिलेख, मुनि-सदस्य, समीक्षा, जासबात इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संवाहक में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपलब्ध संस्था को सम्बद्धता सम्बन्ध विहित करने की अनुमति नहीं जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले संस्था शर्तों का पर्यवेक्षण किये जाने की स्थिति में विधमानतुल्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

सूचना- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2018/1133-2262

तारीख दिनांक: 15-8-2018

प्राविधिक-प्रशासनाध्यक्ष/निदेशक, राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 309, बंसपुर, मलवापुर, बिरु रोड, कामपुर -208017

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव